एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 414/2006

13.3.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री डी.पी.पुजारी, अधिवक्ता याची।
श्री घनश्यामसिंह वास्ते श्री आर.एस.राठौड़ अतिरिक्त महाधिवक्ता।

अयाची की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि आदेश, जिसकी पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में यह अवमानना याचिका प्रस्तुत की गयी है, को खण्डपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 682/2006 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.1.2007 के द्वारा स्थगित कर दिया है। अत: यह याचिका पोषणीय नहीं रह जाती है। अपने जवाब के साथ उन्होनें उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न की है।

इन परिस्थितियों में अब इस याचिका को चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। अत: यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति